

गुन वाद में डिक्री
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा
 (पीठरीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
 पीठरीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपनाम 1. गुराराम पुत्र नोराजराज उर्फ नोराजराज
 बनाम 2. सुदामा पुत्र गुराराम पाठिपाठ
 3. जपसिंह पुत्र गुराराम पाठिपाठ
 निष्पापिण्ड पितृप्राप्त - सिद्ध
 4. राजमान सरदार परिवार 708 भाण्ड
 5. रापरवान मखारपति 708 नोहरा

गुन वाद :- 254/2022, 188 RAIV
 मुकदमा नम्बर :- 254/2022
 निर्णय दिनांक :- 05/06/2023

वादी की ओर से वकील श्री प्रवज महराज - I की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री प्रवज महराज - II की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05/6/23 को मुद्रा शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही भोजा गुन्वरी वरानी
 के स्वामता म० 113/112 के स्वामता म० 71/1 डी उ. 706 ई० में प्रतिवादी
 म० 01 के नाम 1/2 हिस्सा हुआ चड बिसरी पायान के स्वामता म० 60/72
 के स्वामता म० 153/1 डी 2-2-50 ई० में प्रतिवादी म० 01 के नाम 1/2
 हिस्सा व स्त्री पूछार चड गुजपाल के स्वामता म० 42/21 के मु० न०
 28 के डिवा न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 13/1, 14,
 डी कुल 2-1-51 ई० में प्रतिवादी म० 01 के नाम 1/2 हिस्सा
 राजान सिंग में दर्ज है. उक्त तीन स्वामता में प्रतिवादी म० 01
 का नाम उत्तमजन दिया जाउर वादी अहमिंद प्रतिवादी म० 02
 मंगन पुत्र गुराराम प्रतिवादी म० 03 जपसिंह पुत्र गुराराम डो वरिस्ता वरावर
 अनुसार स्वामतेदार आरुधर घोषि दिए जाते है। हूफि भूमि
 यदि बँड रहव है तो रहव मुठ होने पर उपरोक्तानुसार
 राजस्व सिंग डुकाह दिया जाये। स्वनि वाद उभरपमकारान
 अपना-अपना वहन करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।